विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 269.74 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण से संबंधित 41 कंडिकाएँ हैं, जिसमें एक समीक्षा के मामले भी शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2012–13 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 59,566.66 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 16,253.08 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,135.27 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 17,388.35 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 42,178.31 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 31,900.39 करोड़ और सहायता अनुदानः ₹ 10,277.92 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 29 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2012 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2013 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,165 एवं 23,327 थी जिसमें ₹ 10,847.46 करोड़ सन्निहित थे। 1,598 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.7.1)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2012–13 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 2,673 मामलों में ₹ 1,066.92 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण का पता चला। वर्ष 2012–13 के दौरान संबंधित विभागों ने 288 मामलों में सन्निहित ₹ 50.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.9.3)

II. वाणिज्य–कर

छः वाणिज्य–कर अंचलों में नौ व्यवसायियों द्वारा ₹ 42.53 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 18.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.10)

सतरह वाणिज्य–कर अंचलों में कर के गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 56.81 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.11)

नौ वाणिज्य–कर अंचलों में 17 व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 31.06 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.12)

नौ वाणिज्य–कर अंचलों में 12 व्यवसायियों द्वारा ₹ 219.81 करोड़ के वस्तुओं के आयात मूल्य का छिपाव किए जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 86.88 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.25)

III. राज्य उत्पाद

दो उत्पाद जिलों में कोषागार अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा की गई राशि का सत्यापन एवं उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा बिक्री अधिसूचना के शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व का गबन हुआ।

(कंडिका 3.8)

IV. मोटर वाहनों पर कर

उन्नीस जिला परिवहन कार्यालयों में फरवरी 2008 एवं अप्रैल 2013 के अवधि के बीच 671 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 1.19 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 3.48 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी थी।

(कंडिका 4.8)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

अतिक्रमणकारियों का निष्कासन एवं भूमि को पुनः बंदोबस्त करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 1.55 करोड़ की सलामी और लगान की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.12)

बिक्री विलेख को डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट मानते हुए उस पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण किए जाने के फलस्वरूप ₹ 4.44 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.15)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

'खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ' पर एक समीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा परिचारित मॉडल राज्य खनिज नीति, 2010 के अनुरूप राज्य खनन नीति तैयार नहीं की थी।

(कंडिका 6.4.2)

आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव, महत्वपूर्ण मूल पंजियों का संधारण नहीं किया जाना और विभागीय उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के कारण आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

(कंडिका 6.4.9)

अवैध खनिज की अधिप्राप्ति के लिये चार जिलों के कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 12.26 करोड़ का अर्थदण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.4.12)

माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बगैर खनिज उत्खनन हेतु ₹ 16.45 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.4.13)

तीन जिलों में पत्थर के अधिक प्रेषण हेतु ₹ 64.86 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई थी।

(कंडिका 6.4.18.3)